न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

ओमप्रकाश तनय राजराम कडा,

निवासी बिनोदकुंज तिगैला टीकमगढ,तह0 एवं जिला टीकमगढ़,

................आवेदक

वनाम

1— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़,

2— म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़,

...............अनावेदक

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 03/अ—21/2016—17 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27/12/2016 से परिबेदित होकर कर रहा हैं, जो समय सीमा में है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि, आवेदक के नाम से ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ में खसरा नंबर 569/1/मिन—4 रकवा 0.890 हैक्टर भूमि भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। उपरोक्त भूमि आवेदक को वर्ष 1985—86 जरिये 02/10/1984 के प्रावधान के तहत व्यवस्थापन में प्राप्त हुई थी। जिसे बिकय करनें बाव्द आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें उनके द्वारा तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन तलब करने के उपरांत दिनांक 27/12/2016 को भूमि बिक्रय का समाधानप्रद कारण प्रस्तुत न करनें के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया गया। जिससे परिबेदित होकर यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मात्र पटवारी एवं तहसीलदार के इस प्रतिवेदन के आधार पर कि वाद्ग्रस्त भूमि 02/10/84 (दखल रहित अधिनियम) के तहत प्राप्त भूमि हैं, बंटन की नहीं हैं, हरिजन आदिवासी की नहीं

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक– R 225 /I/2017 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **ओमप्रकाश कड़ा वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–1–17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ जिला, द्वारा प्र0क0 03/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27/12/2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। 2– आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा शासन की ओर से पेनल लॉयर अधिवक्ता उपस्थित, उनके तर्क श्रवण किये गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों एवं आधारों को बतलाया गया है, जो कि निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। आवेदक द्वारा अपनी निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालय के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आवेदक के नाम से ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ में खसरा नंबर 569/1/मिन–4 रकवा 0.890 हैक्टर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त भूमि आवेदक को वर्ष 1985–86 में जरिये 02/10/1984 (बिशेष उपवंध अधिनियम) के प्रावधान के तहत व्यवस्थापन में प्राप्त हुई थी। जिसे बिक्रय करनें बाव्द आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें उनके द्वारा तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन तलब करने के उपरांत दिनांक 27 12/2016 को आवेदनपत्र निरस्त कर दिया। उपरोक्त भूमि	

आवेदक को करीब 30 साल पूर्व पट्टा पर प्राप्त हुई थी। आवेदक के अनुसार उपरोक्त वाद भूमि पड़त, काफी कंकड़ीली, पथरीली होने से कृषि योग्य न होने के कारण आवेदक अपनी निजी अवश्यकताओं, स्वयं के ईलाज कराने तथा भरण पोषण वावद आवेदित भूमि बिक्रय करने की अनुमति प्रदान करने वावद एक आवेदनपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा उपरोक्त आवेदनपत्र आदेश दिनांक 27/12/2016 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि,आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण जांच प्रतिवेदन तलब करने वावद तहसीलदार टीकमगढ़ को भेजा गया। तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन चाहा। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16/12/2016 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, वादभूमि 2 अक्टूवर 1984 (दखल रहित अधिनियम) के तहत प्रदत्त भूमि है। जिससे बिक्रय की अनुमति की अवश्यकता नहीं है। यह तथ्य तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16/12/2016 में लेख किया गया है। जिसके आधार पर ही मुख्यतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदनपत्र निरस्त किया है। ग्राम पंचायत अनंतपुरा द्वारा भूमि बिक्रय करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। प्रकरण की वादभूमि आवेदक को बर्ष 85–86 में ब्यवस्थापित की गई थी। जो कि पटटा भूमि की श्रेणी में आती है, जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिक्रय नहीं की जा सकती है। संहिता की धारा 165(7)ख के तहत बिक्रय से प्रतिबंधित होती है, ऐसी भूमि के बिक्रय हेतु भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की अवश्यकता होती है। पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ,जिसके आधार पर जो प्रश्नाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27/12/2016 निरस्त करते हुये, आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 569/1/मिन–4 रकवा 0.890 हैक्टर,

(3) निगरानी प्रकरण क्रमांक– 225 /D/2017

शासकीय दर पर बिक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित उपपंजीयक बिक्रय पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार पंजीबद्ध करें तथा तहसीलदार बिक्रय पत्र के आधार पर विधिवत क्रेताओं के नाम नामांतरण स्वीकृत करें। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके राजस्व मंडल का यह प्रकरण दा0 द0 हो।

सदस्य